PWD UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 1942/1सी0 (वन) दिनांक 03/12/2016

सेवा में,

उप वनसंरक्षक
केदानाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12837/2015 कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी राज्य मार्ग सं0 34 से मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हे0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **Essential Details Sought** दिनांक 16.11.2016 एवं **Essential Details Sought** दिनांक 06.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग –नौटी–पैठाणी राज्य मार्ग सं0 34 से मालई मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। **जिसको पुनः Additional Information के कम सं0 40 में अपलोड किया जा रहा है।**

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply of point 1 of this office EDS dated 24-5-2016 the state govt informed that the required map submitted in CD but not received in this office yet. The state Govt may upload the required georefrenced map in online part I.	georefrenced map पार्ट–I में दिनांक 05.09.2016 के ई0डी0एस0 के संदर्भ में संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है। आपके कार्यालय के पत्र सं0 6801/12–1 दिनांक 23.6.2016 द्वारा Shape file (मानचित्र) की CD अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून प्रेषित की जा चुकी है। **संलग्न 1– पत्र सं0 6801/ 12–1 दि0 23.6.2016 की छाया प्रति। (पेज नं0 2)** **2– पत्र प्राप्ति की रसीद। (पेज नं0 3)**
2	In reply of point 2 of EDS dated 24-5-2016 the corrected copy of FRA with all anexure is still not uploaded in part i column k.	एफ0आर0ए0 दिनांक 05.09.2016 के ई0डी0एस0 के संदर्भ में संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न की जा रही है। **(पेंज न0 04)**
3	In reply of point 4 the state govt provided vague reply on the matter. The state govt may specify the comments.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

अतः महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
03/12/16
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः-- / 12—1 गोपेश्वर, दिनांक 23 जून 2016

815
पत्र सं०
फाइल सं० 1 सी (वनु)
दिनांक 29-6-2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

द्वारा-- निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय-- जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग [illegible] राज्य मार्ग सं0 34 से ग्राम [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण।

सदर्भ-- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 [illegible] पत्रांक 234 [illegible] सी0 (वन) दिनांक 10-06-2016

महोदय,

विषयोंकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गई आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No -2 of EDS it is mentioned that the information/document is uploaded in Part-I by User Agency But the Scanned copy of the map prepared by Using GPS i e the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS softwarehas not been foundattached at para-B-2.4 instead, the previously attached geo-referenced digital map only is found attached which does not serve the purpose	[illegible] geo-referenced digital map में [illegible] all turning points (curves) प्रत्येक 200 से 300 मी0 पर coordinates संशोधित कर [illegible] में अपलोड किया गया है। geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 में [illegible] कर प्रेषित की जा रही।
2	In reply to point No -3 of EDS it is mentioned that the documents are uploaded in Part-I by the User Agency But the previously attached documents only are found attached in online para-kwithout mentioning date State Govt. may submit FRA certificate and proceedings of the Sub Divisional Level Committee meeting after recording date in the documents	Part I के Column A-K(a) में संशोधन कर upload किया गया है।
3	In reply to point No -4of EDS density is corrected to 0.3 hence, revised NPV calculation is required to be submitted	Part II के Column 4 में संशोधन कर upload किया गया है।
4	Regarding data given in the district profile in para-14 of on line Part-II the reply of theState Govt is not satisfactory The CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031 955 ha) Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted Therefore, State Govt may clarify themismatch.Further, it is mentioned in the reply by the StateGovt that it is not possible to complete theCA targets because of delay and resultant increase in the daily wage rates. State Govt. may undertake critical review of such situations and submit comments to this office	प्रभाग के अन्तर्गत 1031.955 है0 वन भूमि हस्तान्तरित की गई है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2008 से पूर्व 434.32 है0 वनीकरण किया गया है। शेष वनीकरण कार्य करने हेतु धनराशि की मांग की गई है। धनराशि प्राप्त होते ही अवशेष क्षतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर के उक्त सदर्भित पत्र के साथ मय सीडी उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अत अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 6801 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, अरथाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को इस आशय से प्रेषित की उक्त geo referenced map digital map की shape file सी0डी0 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

LAC

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

29/6/16

A. Ex Engg

पेशा सहाय

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट
कालोनी, देहरादून।

पत्रांक सं० - 6801/12-1 दिनांक 23 जून 2016

संलग्न - (पत्र एवं सी०डी० 2 नं०)

प्राप्त किया
-2016

कार्यालय
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय (वन विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून

4

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated-----**20.05.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" in Chamoli district falls within jurisdiction, Malai village (s) in Aadibadri/Gairsain tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Malai' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.5.2015 at time 17.00hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.167 hect for the construction of "Karanprayag-Nauti- Paithani S.H. No. 34 to Malai" and forest land 0.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Aadibadri/Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 20.05.2015

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— कर्णप्रयाग - नौटी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 0.420 है. सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 है. सिविल भूमि, कुल 0.450 है. सिविल भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~आदिबद्री~~ / गैरसैंण।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~आदिबद्री~~ / गैरसैंण

उपखण्ड आदिबद्री परिक्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग - नौटी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु × हे0 आरक्षित वन भूमि 0.420 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 है. सिविल भूमि ~~वन पंचायत भूमि~~, अर्थात कुल 0.450 हे0 सिविल वन भूमि) को लो.नि.वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिबद्री) की दिनांक 16/5/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री ———————उपजिलाधिकारी ——————————अध्यक्ष
2— श्री पी0एस0 कनुवैल उप प्रभागीय वनाधिकारी ————————सदस्य
3— श्री सुरेन्द्रलाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——————सचिव / सदस्य
4— श्री ———————बी0डी0सी0 क्षेत्र —— रामेश्वरी देवी ——————सदस्य

उप जिलाधिकारी आदिबद्री / गैरसैंण (चमोली)
सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैंण (चमोली)
सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड सं0 11 सिराणा वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)
लोहबा वन ... गैरसैंण (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा.मु.मं. राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग - नौटी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई के निर्माण हेतु 0.420 है. सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 है. सिविल भूमि कुल 0.450 है. सिविल वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

डी0एस0 नेगी
राजस्व उप निरीक्षक ग्रा0 सिराणा
तहसील— आदिबद्री
जिला—चमोली

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदिबद्री परिक्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग - नौटी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 के मालई तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.4502 वन भूमि लो.नि.वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— आदिबद्री (गैरसैंण)
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— आदिबद्री (गैरसैंण)
जनपद चमोली

प्रपत्र--23.1

परियोजना का नाम :-- कर्णप्रयाग - नौटी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक मो० मार्ग निर्माण हेतु 0.420 है० सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 है० कुल 0.450 है० सिविल भूमि का लो० नि० वि० को हस्तानान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र--

ग्राम पंचायत का नाम -- मालई

तहसील-- आदिबद्री जिला-- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग - नौटी - पैठाणी राज्य मार्ग 34 से ग्राम मालई तक निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु (---X--- हे० आरक्षित वन भूमि, 0.420 सिविल हे० सिविल सोयम भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 है० सिविल भूमि वन पंचायत भूमि ---X--- हे०) अर्थात कुल 0.450 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० अ० ख० गौचर --विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मालई द्वारा दिनांक 09/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम -- मालई -- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.450 है० --प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / --
ग्राम सचिव
पी०सी०मैखुरी
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र मालई विकास खण्ड गैरसैण

ह0 / --
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत मालई
ह० आशा देवी
दि० 09/02/015
वि० ख० गैरसैण

नोट :-- जिला दि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 09/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालई

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	श्री रणजीत सिंह	[illegible]
2 -	" जगदीश सिंह	जगदीश
3 -	" राजेन्द्र सिंह	[illegible]
4 -	" लक्ष्मण सिंह	[illegible]
5 -	" प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
6 -	" रणजीत सिंह	[illegible]
7 -	" रघुवीर सिंह	R.S. [illegible]
8 -	" देवेन्द्र सिंह	[illegible]
9 -	" विजय सिंह	विजय सिंह
10 -	" उदय सिंह	उदय सिंह
11 -	" मोहन सिंह	मोहन
12 -	" श्री गोविन्द सिंह	Govind [illegible]
13 -	" लाजवर सिंह	[illegible]
14 -	" तिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
15 -	" पुष्कर सिंह	[illegible]
16 -	" असाड़ सिंह	असाड़ सिंह
17 -	" कुंवर सिंह	K.S. [illegible]
18 -	" कुंवर सिंह चौधरि	[illegible]
19 -	" इन्द्रजीत सिंह	इन्द्रजीत सिंह
20 -	" सुरेन्द्र सिंह	[illegible]

21 - " विक्रम सिंह — [illegible]

22 - " तिलोक सिंह — [illegible]

23 - " दिनेश सिंह — दिनेश सिंह

24 - " ठाकुर सिंह — [illegible]

25 - " अर्जुन सिंह — [illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत मालई, ह0 आशा देवी, दि0 09/02/015, वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली))

26 - " मोहन सिंह

27 - " रघुवीर सिंह — रघुवीर सिंह

28 - " रणजीत सिंह नेगी — [illegible]

29 - " राकेश चन्द्र बैष्णव — राकेश चन्द्र

30 - " देव राम — देवराम

31 - " रघुवीर प्रसाद — रघुवीर प्रसाद

32 - " केदार दत्त नौटियाल — [illegible]

33 - " पशुपति देवली — [illegible]

34 - " बद्री प्रसाद — [illegible]

[illegible] प्रसाद

ग्राम विकास अधिकारी (हस्ताक्षर)
पी0 [illegible]
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र मालई विकास खण्ड गैरसैंण
जिला चमोली

प्रपत्र–23.1

दिनांक 09/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालई

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
36 –	श्रीमती दुर्गा देवी	
37 –	श्रीमती पार्वती देवी	
38 –	श्रीमती रामप्यारि देवी	रामप्यारी नेगी
39 –	विरेन्द्र लाल	
40 –	महेन्द्र सिंह नेगी	[illegible]
41	उमा देवी	उमा देवी
42	पूर्ण लाल	पूर्ण लाल

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 आशा देवी
दि0 09/02/015
वि0 ख0 गैरसैंण